53

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 4041–तीन/2014 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 04–10–2014 – पारित द्वारा – अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर – प्रकरण क्रमांक 83/2010–11 स्वमेव निगरानी

काडू पुत्र हीरिया कुम्हार
ग्राम जैनी तहसील श्योपुर
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– बाला कुम्हार 2– रामनिवास कुम्हार
3– केदार कुम्हार पुत्रगण बद्री कुम्हार
4– बजरंगी पुत्र बजरंगा कुम्हार
5– केदार 6– बद्री 7– दयाल पुत्रगण मन्ना
8– नागाराम 9– रामस्वरूप पुत्रगण बजरंगा
10– काडी पुत्र बजरंगा कुम्हार
11– श्रीमती भगौंती पत्नि स्व. रामचरण कुम्हार
सभी ग्राम जैनी तहसील व जिला श्योपुर
12– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 2-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 83/10–11 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–10–14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 50/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–10–2010 में निर्देश दिये कि विगत 10–15 वर्षो में तहसीलदार / नायव तहसीलदारों द्वारा

संहिता की धारा 169/190 का सहारा लेकर अवैध नामान्तरण किये हैं ऐसे प्रकरणों का सर्वेक्षण करके रिव्हीजन की कार्यवाही की जावे। इसी क्रम में नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर के प्रकरण क्रमांक 1/2005-06 अ-46 में पारित आदेश दिनांक 1-3-2006 के परीक्षण उपरांत अपर कलेक्टर श्योपुर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 83/10-11 पंजीबद्ध किया तथा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश दिनांक 4-10-14 पारित किया एंव ग्राम जैनी की आराजी क्रमांक 2101/2 रकबा 2 वीघा 18 विसवा एंव आराजी क्रमांक 2101/3 रकबा 3 वीघा 5 विसवा कुल रकबा 6 वीघा 3 विसवा को शासकीय घोषित करने का निर्णय लिया। अपर कलेक्टर श्योपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की ग़ई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 1-3-006 को अपर कलेक्टर श्योपुर ने लगभग 5 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी दर्ज कर कार्यवाही की है जो अनुचित विलम्ब से है। नायव तहसीलदार ने संहिता की धारा 190/169 व 109/110 के अंतर्गत पक्षकारों को सुनकर विधिवत् आदेश पारित किया है जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने काल्पनिक आधारों के निष्कर्ष निकाले हैं । प्रायवेट पक्षकारों के बीच हुई कार्यवाही में स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि पर आवेदक के पूर्व उसके पूर्वज काविज रहे हैं वादग्रस्त भूमि को उपजाउ बनाने में हजारों रूपये खर्च कर दिये है जिसके कारण अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अवलोकन से विचार योग्य है कि क्या अपर कलेक्टर श्योपुर ने नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 1-3-006 के विरूद्ध विलम्ब से स्वमेव निगरानी दर्ज की है। आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 50/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-10-2010 के क्रम में तहसीलदार वृत्त मानपुर के प्रकरण क्रमांक

1/2005-06 अ-46 का परीक्षण करने पर नायव तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में अनियमिततायें किये जाने वावत् तथ्य के पता चलने पर अपर कलेक्टर श्योपुर ने दिनांक वर्ष 2011 में स्वमेव निगरानी पॅजीबद्ध की है।

1. **भेरूलाल विरूद्ध किशनलाल 1990 राजस्व निर्णय 30 पर माननीय उच्च न्यायलय का न्याय दृष्टांत है कि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण करने की परिसीमा का बर्जन नहीं है।**
2. **रामरती (श्रीमती) विरूद्ध म0प्र0राज्य 2013 रा.नि. 390 पर माननीय उच्च न्यायलय का न्याय दृष्टांत है कि समस्त मानकों से वाहर पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने में परिसीमा का प्रश्न वाधक नहीं है।**

विचाराधीन मामले में नायव तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-3-006 में की गई अनियमितताओं, शासन को पहुंचाई गई छति की जानकारी अपर कलेक्टर के ज्ञान में वर्ष 2011 में आई है एंव जानकारी प्राप्त होते ही अपर कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज कर प्रथम पेशी 30-3-11 नियत कर सुनवाई प्रारंभ कर दी है जिसके कारण अपर कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही को समयवाधित नहीं माना जा सकता।

6/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अपर कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 4-10-14 के परीक्षण पर पाया गया कि नक्शा फार्म बी 1 संबत 2061 दिनांक 20-4-05 के खाना नंबर 3 में वाला, बजरंगा, रामनिवास, केदार आदि हिस्सा 1/2 समान भाग बद्री केदार दयाल हिस्सा 1/2 भूमिस्वामी के रूप में अंकित हैं उसके नीचे खाना तीन में काडु पुत्र हीरिया 12 साल अधिपति कृषक दर्ज है। काडू ने विवादित भूमि पर नामान्तरण हेतु आवेदन संबत 2061 में ही प्रस्तुत किया एंव उसी संबंत में नक्शा फार्म बी-1 में फर्जी तरीके से 12 साल आधिपत्य कृषक के रूप में खाना नंबर 3 में प्रविष्टि करा ली जिससे 12 साल का कब्जा प्रमाणित हो सके, जबकि 12 साल का कब्जा बताने के लिये इसके पहले के 12 सालों के खसरा प्रस्तुत करना चाहिये थे, जो नहीं किये गये हैं।

नायव तहसीलदार के प्रकरण में नामान्तरण पंजी के क्रमांक 4 पर अंकित है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव क्र-4 दिनांक 2-10-05 से सहमति

बटवारा एंव फोती नामान्तरण सर्व सम्मति से किया गया। बाला, बजरंगा, रामचरण फोत के स्थान पर नागाराम, रामस्वरूप , काड़ी तथा रामचरण फोत के स्थान पर भागौती, केदार, रामचरण लवकुश ना.वा. पुत्र रामचरण, किसनू, पूजा, दिलवार ना.वा. पुत्री रामचरण का नामान्तरण हुआ है जिस पर खेती करना बताया गया है एंव पटवारी अभिलेख में अमल करे लिखा है जिसमें सरपंच एंव सचिव के हस्ताक्षर हैं। जब इन व्यक्तियों को विवादित भूमि पर खेती करने का उल्लेख ग्राम पंचायत व्दारा किया गया है तो विवादित भूमि पर काडू का कब्जा हो ही नहीं सकता। पाया गया कि काडू व्दारा फर्जी कब्जे की प्रविष्टि कराई गई है। इस प्रकार अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा विस्तृत विवेचना करते हुये आदेश दिनांक 4-10-14 पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं होने से निगरानी सारहीन है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 83/10-11 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4-10-14 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर